

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,(फै0क्षे0), लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांक:- 3387 फै0क्षे0/17 याता0(बाराबंकी वृत्त)/15

दिनांक :- 19.03.2016

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो0नि0वि0, बाराबंकी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर ग्राम-बनीकोडर, तहसील-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी की भूमि संख्या-288, 305 ख में मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (एम0डी0आर0) के किमी0-17 (चैनेज 16.200) पर मध्य रेखा से बाईं तरफ ग्राम-बनीकोडर, तहसील-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी की भूमि संख्या-288, 305 ख पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य से 18.50 मी0 के बाहर कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0-3 ह्यूम पाईप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
7. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम 12 मीटर लम्बी व 3 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 09 मीटर चौड़े होंगे।
9. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ़्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99-डी0ओ0-111 दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आईआर0सी0 कोड-12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-4888 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0टी0-23/14 दिनांक 30.12.14 द्वारा विशेष सचिव, लो0नि0अनु0-12 उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्रीमती लज्जा चतुर्वेदी पर बाध्यकारी होगा।

Asi
19-03-16

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो0नि0वि0, बाराबंकी का पत्रांक 1347 / 26 काम-बाराबंकी वृत्त / 2015-16 दिनांक 18.03.2016 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(ए0के0 अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांक:- 3387 फै0क्षे0 / 17 याता0(बाराबंकी वृत्त) / 15

दिनांक :- 03.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
संलग्नक:-झाड़ंग की एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो0नि0वि0, बाराबंकी का पत्रांक 1347 / 26 काम-बाराबंकी वृत्त / 2015-16 दिनांक 18.03.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-~~ए~~ लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

19-03-16